अनुसूची 14– फारम सं० 562

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, रांची।

अंचलाधिकारी बुढ़मू(रांची)
बनाम
जवाहर प्रसाद केशरी व अन्य

आदेश–फलक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ____________ से ____________ तक

जिला– रांची,   केस का प्रकार–विविध वाद सं० 19/2017–18

अभिलेख सं०–   मौजा– ठहिया (अंचल–बुढ़मू)   Ac TR. NO. CC/17-18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

15/7/21 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षो हाजरी एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुना।

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का आरम्भ अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची के द्वारा विविध वाद सं० 19/2017–18 में दिनांक 8/12/2017 को पारित आदेश, जिसके द्वारा न्यायालय उप–समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रांची के द्वारा विविध (जमाबंदी) वाद सं 628/2016–17 (जवाहर प्रसाद केशरी एवं अन्य बनाम सरकार) में पारित आदेश दिनांक 8/06/2017 की समीक्षा कर समुचित आदेश का अनुरोध किया गया है, के आधार पर की गयी है। उक्त दोनों वाद का सम्बन्ध अंचल बुढ़मू, रांची के मौजा ठहिया थाना सं 87 खाता सं 16 प्लाट सं 1446 रकबा 15 एकड़ रैयती (कायमी) भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत के पुत्रों के द्वारा निबंधित विक्रय विलेख सं 730 दिनांक 29/01/1945 के आधार पर क्रेता होमन साहू के वंशजों के पक्ष में कायम किये जाने से है।

अंचल अधिकारी, बुढ़मू के आदेश दिनांक 8/12/2017 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय उप–समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रांची के द्वारा विविध (जमाबंदी) वाद सं० 628/2016–17 (जवाहर प्रसाद केशरी एवं अन्य

बनाम सरकार) में पारित आदेश दिनांक 8/06/2017 के विरुद्ध हर्बू खलखो , विष्णु उरांव, वगैरह के द्वारा दिए गए आपति आवेदन, जिसमे उनके द्वारा मौजा डंडिया थाना सं० 87 खाता सं० 16 प्लाट सं 1446 रकबा 15 एकड़ में से 5 एकड़ भूमि हुकुमनामा दिनांक 22/09/1943 से प्राप्त होने का दावा करने के आधार पर, अंचल कार्यालय,बुढ़मू, रांची में संधारित कतिपय राजस्व अभिलेखों के आधार पर समीक्षा का अनुरोध किया गया है। प्राप्त अभिलेख के आदेश फलक में अंकित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजों में विरोधाभास के कारण सभी सम्बंधित पक्षों को इस न्यायालय से नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची से पत्रांक-66(ii) दिनांक 06/01/2021 के द्वारा प्रासंगिक भूमि के पंजी 2, खतियान, निरंतर खतियान, प्लाट इंडेक्स, तत्कालीन जमींदार की विवरणी, आपत्तिकर्ता हर्बू खलखो वगैरह के दावे का आधार एवं भूमि पर दखल की स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची से पत्रांक 48(ii) दिनांक 28/01/2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में आपत्तिकर्ता हर्बू खलखो वगैरह के दावे का आधार पर विना किसी मंतव्य के निरंतर खतियान में दर्ज विवरणी के आधार पर जोतकार होने कि संभावना व्यक्त की गयी है, जबकि इनके पक्ष में पंजी 2 में जमाबंदी संधारित नहीं होना प्रतिवेदित है। साथ ही इनके पास रैयती (कायमी) खाते की भूमि के वैध हस्तांतरण के दस्तावेज भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं है। अपितु, अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची के द्वारा विविध वाद सं० 19/17-18 में दिनांक 8/12/2017 को पारित आदेश के अभिलेख के साथ संलग्न हर्बू खलखो वगैरह के दावे से सम्बंधित खतियानी रैयत किशोरी मोहन राम पाण्डेय द्वारा निर्गत वर्ष 1943 का हुकुमनामा एवं हरिचरण साहू, शंकर साहू द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद है। अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची से पत्रांक

40(II) दिनांक 28/01/2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अंचल बुढ़मू, रांची के मौजा डंडिया थाना सं 87 खाता सं० 16 प्लाट सं० 1446 रकबा 15 एकड़ भूमि खेवट सं० 1 से सम्बंधित है और खेवट तथा खतियान की विवरणी से स्पष्ट है कि प्रासंगिक भूमि के जमींदार का नाम महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव वल्द जगरनाथ शाहदेव कौम क्षत्रिय नागवंशी दर्ज है

अत: खतियानी रैयत किशोरी मोहन राम पाण्डेय द्वारा रैयती भूमि के विक्रय दस्तावेज के बदले हुकुमनामा जारी किया जाना तथा वास्तविक तत्कालीन जमींदार महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव वल्द जगरनाथ शाहदेव के बदले हरिचरण साहू, शंकर साहू द्वारा जमींदारी रसीद निर्गत किया जाना आपतिकर्ता हर्बु खलखो वगैरह के दावे में संदिग्धता उत्पन्न करता है।

न्यायालय से निर्गत नोटिस के फलस्वरूप सभी पक्षों के द्वारा स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से लिखित जवाब दाखिल किया गया है जिसमे आपतिकर्ता हरबु खलखो वगैरह के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि अंचल बुढ़मू, रांची के मौजा डंडिया थाना सं 87 खाता सं 16 रीविजनल सर्वे खतियान में किशोरी मोहन राम पाण्डेय एवं रामशरण पाण्डेय पेशरान गजाधर राम पाण्डेय बा हिस्सा बराबर दर्ज है जिसमे से 37 एकड़ 65 डिसमिल, प्लाट सं 1446 रकबा 15 एकड़ सहित, भूमि की बिक्री खतियानी रैयत के द्वारा निबंधित विक्रय विलेख सं 730 दिनांक 29/01/1945 के माध्यम से क्रेता डोमन साहू को की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्लाट सं 1446 कुल रकबा 15 एकड़ में से 05 एकड़ भूमि खतियानी रैयत किशोरी मोहन राम पाण्डेय के द्वारा वर्ष 1943 में अनिबंधित हुकुमनामा के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया एवं आपतिकर्ता इस भाग पर दखलकार हैं। अन्य पक्षकारों धरमु उरांव, जयंती देवी, सुकरो देवी, विगो देवी, शनिचर उरांव, नीरज टोप्पो, वीना उरांव के द्वारा शपथ पत्र/लिखित बयान के माध्यम से यह

स्वीकार किया गया है कि प्रासंगिक भूमि में से 10 एकड़ भूमि ... स्व. डोमन साहू एवं इनके वंशजो के द्वारा साझेदारी पर इन्हें जोत कोड़ के लिए दिया गया था जिसे इन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया गया है एवं वर्तमान में इस भू–भाग पर स्व० डोमन साहू के पुत्रों जगेश्वर साहू, रामकिशुन साहू के वंशजों जवाहर प्रसाद केशरी, ओम प्रकाश साहू वगैरह का दखल है।

इस वाद के मुख्य पक्षकार जवाहर प्रसाद केशरी, ओम प्रकाश साहू वगैरह के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल लिखित जवाब में बताया गया है कि मौजा डंडिया थाना सं 87 खाता सं 16 प्लाट सं 1446 रकबा 15 एकड़ सहित कुल 37 एकड़ 65 डिसमिल भूमि खतियानी रैयत के द्वारा निबंधित विक्रय विलेख सं 730 दिनांक 29/01/1945 के द्वारा जवाहर प्रसाद केशरी, ओम प्रकाश साहू वगैरह के पूर्वज डोमन साहू के द्वारा क्रय की गयी थी एवं स्थानीय लोगो को साझीदारी के तौर पर जोत कोड़ के लिए दी गयी थी जिसमे से आपत्तिकर्ता हर्बू खलखो वगैरह को छोडकर अन्य साझेदारों के द्वारा इनलोगों को स्वेच्छा से वापस कर दिया गया है जबकि हर्बू खलखो वगैरह जाली दस्तावेजों के आधार पर गलत मंशा से इस प्लाट के पांच एकड़ भू–भाग पर दावा कर रहे हैं।

अंचल अधिकारी, बुढ़मू , रांची के द्वारा विविध वाद सं. 19/2017–18 में दिनांक 8/12/2017 को पारित आदेश, न्यायालय उप–समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रांची के द्वारा विविध (जमाबंदी) वाद सं 628/2016–17 (जवाहर प्रसाद केशरी एवं अन्य बनाम सरकार) में पारित आदेश दिनांक 8/06/2017, अंचल अधिकारी, बुढ़मू , रांची से पत्रांक 48(ii) दिनांक 28/01/2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं इस वाद के सभी पक्षकारों द्वारा दाखिल जवाब का अवलोकन किया। इस वाद में सन्निहित भूमि अंचल बुढ़मू, रांची के मौजा डंडिया थाना सं 87 खाता सं 16 रीविजनल सर्वे खतियान में

किशोरी मोहन राम पाण्डेय एवं रामशरण पाण्डेय पेशरान गजाधर राम पाण्डेय का हिस्सा बराबर कायमी प्रकृति की भूमि से सम्बंधित है जिसका कुल रकबा 37 एकड़ 66 डिसमिल, प्लाट 1446 रकबा 15 एकड़ सहित, भूमि की बिक्री खतियानी रैयत के द्वारा निबंधित विक्रय विलेख सं 730 दिनांक 29/01/1945 के माध्यम से क्रेता डोमन साहू को की गयी है एवं जिसमे से प्लाट 1446 रकबा 15 एकड़ भूमि को छोड़ कर शेष भूमि 22.65 एकड़ का नामांतरण दाखिल खारिज वाद सं 29/74-75 के द्वारा जगेश्वर साहू एवं राम किशुन साहू पिता डोमन साहू के पक्ष में होकर मूल पंजी 2 के पृष्ट सं 40 में दर्ज है। प्लाट सं0 1446 रकबा 15 एकड़ भूमि की जमाबंदी क्रेता या इनके वंशजों के पक्ष में नहीं होने के सम्बन्ध में तत्कालीन अंचल अधिकारी, बुढ़मू के द्वारा उक्त भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों, जिसमे कि आपत्तिकर्ता हर्बू खलखो वगैरह भी शामिल हैं, के द्वारा जोत कोड़ एवं हुकुमनामा/जमींदारी रसीद की बात का उल्लेख करते हुए निरंतर खतियान एवं प्लाट इंडेक्स में आपत्तिकर्ता हर्बू खलखो वगैरह सहित कुछ अन्य परिवारों के नाम दर्ज होना प्रतिवेदित है। यह भी प्रतिवेदित है कि प्लाट सं 1446 रकबा 15 एकड़ भूमि की जमाबंदी मूल पंजी 2 में किसी के नाम पर भी संधारित नहीं है ।

यह सर्व-विदित है कि निरंतर खतियान का संधारण नामांतरण/लगान निर्धारण के पश्चात सर्वप्रथम पंजी 2 में दर्ज होने के पश्चात ही होता है तथा प्लाट इंडेक्स का संधारण अंचल कार्यालय के द्वारा न होकर सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा भू-अधिकार अभिलेख निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में किया जाता है। अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची के द्वारा विविध वाद सं. 19/2017-18 में दिनांक 8/12/2017 को पारित आदेश अभिलेख के साथ संलग्न रैयती भूमि के सम्बन्ध में हुकुमनामा एवं जमींदारी रसीद में दर्ज विवरणी अंचल अधिकारी, बुढ़मू, रांची से पत्रांक 48(ii) दिनांक 28/01/2021 के द्वारा प्राप्त

प्रतिवेदन के आलोक में आपत्तिकर्ता हर्दू खलखो वगैरह का मौजा डडिया थाना सं 87 खाता सं 16 प्लाट सं 1446 के पांच एकड़ भूमि पर किया गया दावा वैध प्रतीत नहीं होता है। साथ ही, वर्ष 1943 के तथाकथित हुकुमनामा के आधार पर प्रासंगिक भूमि पर किया गया दावा भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (Indian Limitation Act, 1963) तथा झारखण्ड (बिहार) अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। प्लाट सं 1446 के कुल रकबा 15 एकड़ भूमि में शेष 10 एकड़ भू–भाग पर जोत–कोड़ करने वाले स्थानीय परिवारों के द्वारा उक्त भूमि के क्रेता के वंशजों के पक्ष में दखल छोड़ देना इस वाद के पक्षकार जवाहर प्रसाद केशरी, ओम प्रकाश साहू वगैरह के दावे की पुष्टि करता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आलोक में न्यायालय उप–समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रांची के द्वारा विविध (जमाबंदी) वाद सं 628 / 2016–17 (जवाहर प्रसाद केशरी एवं अन्य बनाम सरकार) में पारित आदेश दिनांक 8 / 06 / 2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अंचल अधिकारी बुढ़मू, राँची का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश से अंचल अधिकारी, बुढ़मू को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह०) 13/7/21
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

(ह०) 13/7/21
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.08.14 13:08:27 +05:30
Location: 192.168.0.8